कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 358/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01थाना तरवा: ग्राम कटाई में बच्चो के विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा खेदू राम पुत्र लछिराम राम ग्राम तरवाँ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक-05.10.2025 को दिया है कि दिनांक-04.10.2025 को ग्राम- तरवां (कटाई) में भोज खाने गई वच्ची को कुर्सी से यह कहकर हटा कर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया जिसमें विवाद हो गया। कुछ लोगो ने समझा कर विवाद को खत्म कर दिया फिर एक घण्टे बाद समय लगभग 9.30 बजे रात्रि को योजना वनाकर रामजनम पुत्र रामलखन राजभर ,आर्पित राजभर पुत्र वावूलाल राजभर, अभिषेक राजभर पुत्र हरि राजभर ,किशन राजभर पुत्र अरविन्द राजभर , मनीष राजभर पुत्र घूरन राजभर , प्रिंस राजभर पुत्र राजभर , अनिल राजभर पुत्र प्रकाश राजभर , गोलू राजभर पुत्र रामजनम राजभर , कैलाश राजभर पुत्र प्रकाश राजभर निवासी ग्राम तरवां (कटाई) एवं अंकित राजभर ग्राम रसूलपुर और सूरज राजभर पुत्र जितेन्द्र राजभर , पवन यादव पुत्र सत्येन्द्र यादव , विपुल पुत्र रामअवध यादव निवासी ग्राम तरवाँ (कटाई) ने हमारे घर पर हमला कर दिया तोड़ फोड करने लगे जान मारने की नियत से लाठी डंडे से मारने लगे जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए कि बुरी तरह से मार पीट करने लगे जिससे कमलेश पुत्र लछिराम , राजेश पुत्र लछिराम , अंकित पुत्र राम नरायन , सविता पत्नि हरिलाल , सन्तरा देवी पत्नी रामनरेश रीला देवी पत्नी राजेश राम एवं सरोजा देवी पत्नी कमलेश राम गम्भीर रूप से घायल हो गये है। जिसके आधार पर थाना तरवां पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 261/25 धारा 3(5)115(2)/352/351(3)/324(4)/109 बीएनएस व 3(2)5 SC/ST ACT पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित किया गया है अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दिया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक -05.10.2025 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रामजनम राजभर पुत्र रामलखन राजभर निवासी तरवा कटाई थाना तरवा जनपद आजमगढ 2. अंकित राजभर पुत्र साहब राजभर निवासी किरहिंया थाना तरवा जनपद आजमगढ को तरवा पुल पर समय 16.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 261/25 धारा 3(5)115(2)/352/351(3)/324(4)/109 बीएनएस व 3(2)5 SC/ST ACT थाना तरवां आजमगढ़

अभियुक्तगण का नाम पता व पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त-

1 - रामजनम राजभर पुत्र रामलखन राजभर निवासी तरवा कटाई थाना तरवा जनपद आजमगढ उम्र करीब 51 वर्ष बदरियाफ्त

2- अंकित राजभर पुत्र साहब राजभर निवासी किरहिंया थाना तरवा जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02. थाना मुबारकपुरः चोरी की घटना का अनावरण, चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

दिनांक 06.09.2025 को वादी मुकदमा सहर्ष राय पुत्र सुनील कुमार राय ग्रा0 कुकुड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 03/04.09.2025 की रात्रि मे विद्यालय ऑफिस का ताला तोड़कर आलमारी मे रखी 5 पीस टैबलेट व बैग में रखे विद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को अज्ञात चोरो द्वारा चुरा लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 399/2025 धारा 305/331(4) BNS पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा प्रचलित है।

 दिनांक 12.07.2025 को वादी मुकदमा गुड्डू राम पुत्र जद्दू राम ग्राम बोहना सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 10.07.2025 को रात्रि मे वादी धान की रोपाई करने ट्यूबेल पर गया हुआ था कि अज्ञात चोरो द्वारा घर मे घुस कर घर मे रखे बक्से का ताला तोड़कर बक्से मे रखे दो सोने का मंगलसूत्र, एक अंगूठी, कील, नथुनी, एवं चादी की पैजनी, पायल, ककनी, हाथ की मेंहदी,किलिफ, दो जोड़ी मीना एवं दो हजार रूपये नकद चुरा लिये जाने के सम्बन्ध मे थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 230/2025 धारा 305/331(4) BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय कुमार द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 06.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ भटौरा अण्डर पास पर चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि 02 व्यक्ति गजहड़ा मोड़ पर खड़े होकर आ जा रहे राह गिरों को चोरी छुपे चोरी का टेबलेट व कुछ जेवर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है जिनके पास अवैध शस्त्र भी है यदि शीघ्रता की जाए तो पकडा जा सकता है। उक्त सूचना के आधार 02 अभियुक्त क्रमशः- 1. पंकज गुप्ता पुत्र भीम प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम फरीदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष 2. अभय गौड़ उर् बहादुर गौड़ पुत्र महेंद्र गौड़ निवासी ग्राम फरीदपुर थाना थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 21 वर्ष को मौके पर ही एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। दोनो अभियुक्तगणों के कब्जे से एक एक अदद .315 बोर व एक एक कारतूस .315 बोर की बरामदगी की गयी। अभियुक्तगणों के कब्जे/निशांदेही पर पांच अदद टेबलेट, एक अदद बैग ,एक अदद लोहे की राड, एक अदद हथौड़ा ,एक अदद वायर कटर, तीन अदद चार्जर, एक नग मंगलसूत्र पीली धातु, एक नग अंगूठी पीली धातु, दो जोड़ी मीना सफेद धातु, एक जोड़ी किलिफ सफेद धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, दो हजार रूपये की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. पंकज गुप्ता पुत्र भीम प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम फरीदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष
2. अभय गौड़ उर् बहादुर गौड़ पुत्र महेंद्र गौड़ निवासी ग्राम फरीदपुर थाना थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1- 02 अदद तमंचा .315 बोर, 02 अदद कारतूस .315 बोर,
2- पांच अदद टेबलेट, एक अदद बैग ,एक अदद लोहे की राड, एक अदद हथौड़ा ,एक अदद वायर कटर, तीन अदद चार्जर,
3- एक नग मंगलसूत्र पीली धातु, एक नग अंगूठी पीली धातु, दो जोड़ी मीना सफेद धातु, एक जोड़ी किलिफ सफेद धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, दो हजार रूपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज गुप्ता पुत्र भीम प्रसाद

1. मु0अ0सं0 399/2025 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 230/2025 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 436/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभय गौड़ उर् बहादुर गौड़

1. मु0अ0सं0 399/2025 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 230/2025 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 437/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव का0 अंजनी कुमार, का0 सुनील सोनकर, का सर्वेश चौरसिया ,का नीरज कुमार, का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ हे0का0 उमेश यादव सर्विलांश टीम आजमगढ

03.थाना- कोतवाली: वन संरक्षण अधिनियम में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

अवगत कराना है कि उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, कां0 विवेक कुमार साहू, कां0 अप्पू कुमार, कां0 अरूण यादव थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर हरा नीम का पेड़ काटने वाले अभियुक्त 1. श्यामलाल सोनकर पुत्र फेकू सोनकर निवासी सराय मंदराज थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष, 2. मन्नू सोनकर पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासी सराय मंदराज थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष, 3. मेघई पुत्र चन्ददेव निवासी गयासपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष, 4. विनोद पुत्र तिलक निवासी गयासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को दिनांक 5.10.25 को समय 14.30 बजे थाना कोडर अजमतपुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्यामलाल सोनकर पुत्र फेकू सोनकर निवासी सराय मंदराज थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष,
2. मन्नू सोनकर पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासी सराय मंदराज थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष,
3. मेघई पुत्र चन्ददेव निवासी गयासपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष,
4. विनोद पुत्र तिलक निवासी गयासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1- एक कटा हरा पेड़ नीम का , एक अदद पेड़ काटने वाली मोटर, आरा व कुल्हाड़ी

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 506/25 धारा 4/10 उ.प्र. ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका, कां0 विवेक कुमार साहू, कां0 अप्पू कुमार, कां0 अरूण यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

04.थाना दीदारगंज: अपहृता व अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर बरामद व गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 03.10.25 को शाम लगभग 04.00 बजे शिवम पुत्र विजय कुमार ग्राम पुरन्दरपुर थाना सरायमीर आजमगढ द्वारा वादिनी की पुत्री बहला फुसलाकर भगा ले जाने व अपने घर पर रखने तथा वादिनी द्वारा बातचीत करने के प्रयास पर गाली गलौज व मारपीट के लिए उतारू हो गया, के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 276/25 धारा 87,137(2),352,131 BNS बनाम 1.शिवम पुत्र विजय कुमार निवासी पुरन्दरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 06.10.2025 को व0उ0नि0उपेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 शिवम पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम पुरन्दरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ हैदराबाद बाजार चौराहे में खडे है के पास से समय करीब 7.30 बजे पुलिस हिरासत में व पीडिता को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-शिवम पुत्र विजय कुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पुरन्दरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 276/25 87,137(2),352,131 बीएनएस दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह व0उ0नि0उपेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

05. थाना अहरौलाः साइबर जागरुकता अभियान जनपद आमजगढ़ ।

आज दिनांक 10.06.2025 को साइबर जागरुकता अभियान थानाध्यक्ष अहरौला के कुशल निर्देशन में साइबर टीम प्रभारी उ0नि0 रंजन कुमार साव मय टीम द्वारा शंकर जी इन्टर कालेज गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ में छात्राओ को साइबर हेल्पलाइन 1930, डिजिटल अरेस्ट, नौकरी का झांसा , पार्सल स्कैम, लोन व क्रेडिट कार्ड स्कैम, सोशल मिडिया एकाउन्ट हैक , अपना पासवर्ड व ओटीपी शेयर न करना अनजाने लिंक पर क्लिक न करना आदि के बारे में छत्राओ को बताया गया।

उ.नि. रंजन कुमार साव, उ.नि. प्रमोद सिंह , हे.का. सत्येन्द्र यादव , का. नागेन्द्र यादव म.का. प्रियंका वर्मा , म.का. अनामिका कुशवाहा थाना अहरौला आजमगढ़ मौके पर मौजूद रहे ।

06. थाना तरवाः साइबर जागरूकता अभियान जनपद आजमगढ़

आज दिनांक- 10.06.2025 को साइबर जागरूकता अभियान के तहत थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा सेण्ट जेवियर्स इण्टर कालेज तरवा में प्रधानाचार्य, शिक्षकगण व विघायार्थीगणो को साइबर अपराध से सम्बन्धित डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग स्कैम, इमोशनल मैनिपुलेशन, नौकरी का झांसा, पार्सल स्कैम, निवेश धोखाधड़ी, लोन व क्रेडिट स्कैम, सोशल मीडिया एकाउण्ट हैक, शापिंग व पार्सल आदि फ्राड़ व उनसे बचने के तरीके जैसे डिटेल शेयर न करना, स्पैम काल न उठाना, पासवर्ड या ओटीपी शेयर न करना, अनजाने लिंक पर किल्क न करना आदि बचाव के तरीके बताये गए तथा फ्राड होने पर साईबर हेल्पलाइन नं0 1930 तथा साईबर हेल्पलाइन बेबसाइट WWW.Cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने के बारे में बताया गया तथा थाना स्तर से सहायता प्राप्त करने के लिए थाने पर साईबर हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी दी गई व जागरूक किया गया।

जागरूकता अभियान पुलिस टीम थानाध्यक्ष तरवां, उ0नि0 अतुल मिश्रा, म0का0 पूजा सिंह, का0 संजय यादव, का0 सौरभ सिंह, का0 अजय यादव, का0 विपिन यादव थाना तरवा जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, जनपद आजमगढ़
दिनांक: 06.10.2025

➡ **साइबर जागरूकता अभियान के तहत अमर शहीद इन्टर कालेज ईश्वरपुर मे प्रचार - प्रसार कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।**

➡ I4C द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत साइबर अपराध से बचाव हेतु जनजागरूकता कार्यशाला का आयोजन-

➡ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम व आमजनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज एवं पुस्तकालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए-

☞इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2025 को अमर शहीद इन्टर कालेज ईश्वरपुर में साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधो जैसे डिजीटल अरेस्ट मे फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन मे फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियो / महिलाओ से दोस्ती करना, म्यूल अकाउट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए विद्यालय के अध्यापको व छात्र - छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया।

➡ कार्यशाला के दौरान भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं www.cybercrime.gov.in पोर्टल के उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

➡ साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत उक्त नंबर या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर अपराध को रोका जा सकता है।

प्रमुख बिंदु जिन पर जानकारी दी गई-

❖ बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैन कर ठगी

❖ व्हाट्सएप हैकिंग, OLX व KYC आधारित ठगी

❖ फर्जी ऐप्स, ऑनलाइन लोन स्कैम, हनी ट्रैपिंग

❖ ATM व इंटरनेट मीडिया से जुड़ी ठगी

❖ निवेश / गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी व अन्य कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी

❖ सेक्सटॉर्शन व न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग

सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों में विशेष सावधानी की सलाह-

➡ साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया (विशेषतः फेसबुक) पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। बाद में व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाया जाता है और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल कर धन की मांग की जाती है।

➡ जनसामान्य को सलाह दी गई कि –

❖ किसी भी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।

❖ अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल न उठाएं।

❖ यदि कॉल उठानी हो तो कैमरे पर अंगूठा या कवर रखें।

❖ किसी भी प्रकार की ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- म0नि0 श्रीमती विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 महिपाल यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- म0का0 संज्ञा देवी थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़

सक्सेस स्टोरी मिशन शक्ति 5.0

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, दिनांक- 06.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत पीड़िता/वादिनी को भरण-पोषण हेतु 40,000/- रुपया इनके पति के द्वारा मा0 न्यायालय में जमा करवाया गया।

➡अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0न0 324/24 अन्तर्गत धारा128 दंड प्रक्रिया संहिता भरण पोषण हेतु छाया बनाम राधेश्याम उर्फ अजय राजभर पुत्र पप्पू राजभर निवासी दशमढा थाना बरदह जनपद आजमगढ में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त राधेश्याम उर्फ अजय उपरोक्त को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिस क्रम में वसूली वारंट दिनांक 26/09/25 को एक पक्षीय आदेश के क्रम में निर्गत किया गया था।

➡जिसके अनुपालन में थाना बरदह की मिशन शक्ति टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।

➡उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी दिनांक- 14/06/2012 को हुयी थी, लगभग शादी के एक साल बाद से ही पति पत्नी में विवाद होने लगा। उसकी एक 11 वर्ष की बच्ची भी है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद योजित किया गया था।

➡ विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारंट निर्गत किया गया था।

➡आवेदिका छाया उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना बरदह पर नियुक्त उ0नि0 संजय कुमार, का0 सूरज सिंह, का0 विद्याकान्त व मिशन शक्ति केन्द्र बरदह की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुए अभियुक्त राधेश्याम उर्फ अजय राजभर उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां अभियुक्त द्वारा 40,000 रूपये मा0 न्यायालय में जमा करवाया गया। तथा शेष पैसा किस्तो में आने वाली तारीखो पर जमा किया जायेगा।

➡ महिला/वादिनी छाया उपरोक्त के द्वारा जनपद की पुलिस, मा0 न्यायालय व सरकार का धन्यवाद दिया गया।

प्रेस नोट, दिनांक 06.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है।

➡ **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

➡इसी क्रम में **दिनांक 06 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों**, **सार्वजनिक स्थानों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं**, **हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता**, **कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।